M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2015

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 20
No. of Printed Pages : 20

निर्णय लेखन
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
Fourth Paper

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answers to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder - - 10 Marks

PLAINTIFFS PLEADINGS –

The case of plaintiffs, two real brothers, is that they are owner and landlord of the municipal house No. 10 situated in ward No. 8 of Barwani town. From the time of their deceased father, the defendant is tenant in the two rooms of the ground floor of this house, for non –residential purpose on rent at the rate of Rs. 3,000 per month. Previously, another brother of the plaintiffs namely Kishor was residing in the third room of the ground floor and rooms of the upper story. Aforesaid Kishor was unmarried, who has died on 06-02-2014. Previously, the defendant was paying rent to the above mentioned Kishor and took receipt from him, but now the rent from the date 01-02-2014 is due towards the defendant. After the death of above mentioned Kishor, the defendant has unlawfully occupied the third room of the ground floor and all the rooms of first floor, which were previously in occupation of Kishor and not included in the tenanted premises. The plaintiffs have demanded from the defendant, the due rent from the date 01-02-2014 towards the defendant and also demanded the possession of portion of this house unlawfully occupied by the defendant through a registered notice, but the tenant after receiving this notice has not paid the arrears of rent in prescribed period and has not vacated the portion unlawfully occupied by him.

2- The remaining pleadings of the plaintiffs are that the defendant has challenged their title to the suit house in his reply, sent to the plaintiff's notice. Thus, the tenant has become liable for eviction on this ground also under the M.P. Accommodation Control Act 1961. Thus, plaintiffs have demanded from the defendant by the suit the vacant possession of suit accommodation (tenanted premises) and vacant possession of the remaining portion of the suit house unlawfully occupied by the defendant, due rent of tenanted premises from the date 01-02-2014 till date of the decree towards the defendant and damages at the rate of Rs. 1,000 per month from the date of suit till recovery of the possession in reference to

encroached portion of the suit house and mesne profit at the rate of Rs. 3,000 per month from the date of decree till recovery of possession in reference to suit- accommodation.

DEFENDANT'S PLEADINGS –

The defenedant has admitted his status as a tenant in the suit accommodation at the alleged rent rate, but he has pleaded that he has not challenged the co-ownership of the plaintiffs, but has stated only that the plaintiffs are not sole owners of the suit house and plaintiffs' third living brother and their sisters are also owners of the building. The defendant was previously paying rent to the brother Kishor residing in the house, but after the death of Kishor, another living brother of the plaintiffs, who is residing in other town, is claiming his co-ownership on the suit house and also demanded the rent of the tenant premises from the defendant, thus, the defendant has not paid the rent due from 01-02-2014 after the death of Kishor to anyone, but he is depositing all the arrears of the rent lawfully in Court and also depositing the monthly rent for the period of pendency of suit. Plaintiffs' above mentioned living brother has filed a suit against the plaintiffs and their sisters for partition of the ancesteral or joint Hindu Family properties including the house relating to the suit accommodation which is pending in another Court. Thus, plaintiffs' above mentioned brother and their sisters are also necessary parties in this suit. The defendant has not encroached or unlawfully possessed any portion of the building concerned with the suit-accommodation. The defendant has never challenged the co-ownership of the plaintiffs. Plaintiffs have filed this suit on false grounds, thus, the defendant has prayed for dismissal of the plaintiffs' suit.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन –

1– दो सगे भाईयों, वादीगण का मामला है कि वे बड़वानी नगर के वार्ड नंबर 8 में स्थित भवन क्रमांक 10 के मालिक एवं भवन स्वामी हैं । उनके स्व. पिता के समय से उक्त मकान की तल मंजिल के दो कमरों में प्रतिवादी व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 3,000 रूपए प्रति मासिक किराए पर किरायेदार है । पूर्व में वादीगण का अन्य भाई किशोर उक्त मकान की तल मंजिल के तीसरे कमरे और ऊपरी मंजिल के कमरों में निवास करता था। उक्त किशोर अविवाहित था, जिसकी दिनांक 06.02.2014 को मृत्यु हो गई है। पूर्व में प्रतिवादी उक्त किशोर को किराया अदा कर रसीद प्राप्त करता था, किन्तु प्रतिवादी की ओर दिनांक 01.02.2014 से किराया

बकाया है । उक्त किशोर की मृत्यु के पश्चात मकान के तल मंजिल के तीसरे कमरे तथा ऊपरी मंजिल के कमरों, जो पूर्व में उक्त किशोर के आधिपत्य में थे पर भी प्रतिवादी ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है, जो प्रतिवादी की किरायेदारी में शामिल नहीं है। वाद प्रस्तुति के पूर्व वादीगण की ओर से दिए गए रजिस्टर्ड नोटिस में दिनांक 01.02.2014 से बकाया किराया की मांग की गई तथा अवैध रूप से कब्जा किए गए मकान के भाग का कब्जा छोड़ने की मांग भी की गई, किन्तु प्रतिवादी ने नोटिस प्राप्ति के बाद भी न तो बकाया किराया विहित समयावधि में अदा किया है, न ही अवैध रूप से कब्जा किए गए मकान के भाग का कब्जा छोड़ा है ।

2— वादीगण के शेष अभिवचन है कि वाद प्रस्तुति के पूर्व वादीगण की ओर से दिए गए नोटिस के प्रतिवादी द्वारा भेजे गए उत्तर में वादग्रस्त स्थान वाले भवन पर वादीगण के स्वत्व को चुनौती दी गई है । अतः म.प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत इस आधार पर भी प्रतिवादी निष्कासन का पात्र है। अतः वादीगण ने वाद द्वारा प्रतिवादी के किरायेदारी वाले वादग्रस्त स्थान का रिक्त आधिपत्य, वादग्रस्त स्थान वाले भवन के प्रतिवादी द्वारा अवैध अतिक्रमण किए गए शेष भाग का रिक्त आधिपत्य, वादग्रस्त स्थान का दिनांक 01.02.2014 से आज्ञप्ति दिनांक तक के बकाया किराया तथा वादग्रस्त स्थान वाले मकान के अतिक्रमण किए गए भाग के संबंध में 1,000 रूपए मासिक की दर से नुकसानी तथा आज्ञप्ति से वादग्रस्त स्थान के आधिपत्य प्राप्ति तक 3,000 रूपए मासिक की दर से अंतरिम लाभ भी दिलवाए जाने की सहायता चाही है ।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन</u> —

प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर में वादग्रस्त स्थान में उल्लेखित किराये की दर पर अपने किरायेदार होने के तथ्य को स्वीकार किया है, किन्तु यह अभिवचन भी किया है कि उसने वादीगण के सहस्वामित्व को चुनौती नहीं दी है, अपितु केवल यह कहा है कि केवल वादीगण ही भवन स्वामी नहीं है तथा दोनों वादीगण का तीसरा जीवित भाई तथा उनकी बहनें भी उक्त भवन के स्वामी है। पूर्व में प्रतिवादी वादग्रस्त स्थान वाले मकान में ही रहने वाले वादीगण के भाई किशोर को किराया अदा करता था, किन्तु किशोर की मृत्यु के बाद अन्य नगर में रहने वाला वादीगण का जीवित भाई भी उक्त मकान में अपने सहस्वामित्व का दावा करने लगा है तथा उसने भी प्रतिवादी से वादग्रस्त स्थान के किराये की मांग की है, इस कारण प्रतिवादी ने किशोर की मृत्यु के बाद से दिनांक 01.02.2014 से आगे की अवधि का किराया किसी को भी अदा नहीं किया है, जो वह न्यायालय में नियमानुसार जमा करा रहा है तथा वादकालीन किराया भी नियमानुसार जमा करा रहा है। वादीगण के उक्त जीवित भाई ने वादीगण तथा उनकी बहनों के विरूद्ध वादग्रस्त स्थान वाले भवन के अतिरिक्त वादीगण को प्राप्त अन्य पैतृक अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है, जो अन्य न्यायालय में लंबित है। अतः वादीगण का उक्त भाई तथा उनकी बहनें भी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। प्रतिवादी ने वादग्रस्त स्थान वाले भवन के किसी अन्य भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण या अवैध कब्जा नहीं किया है। प्रतिवादी ने वादीगण के सहस्वामित्व को कभी चुनौती नहीं दी है। वादीगण ने मिथ्या आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है, अतः प्रतिवादी की ओर से वादीगण का वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under - - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

Accused Dhirendra and deceased Bhupati used to sell channa at Manikpur Bazar for last 15-16 years. On 03-07-2014 in the evening hours both of them were seen talking over the money matter by co-villagers. On the same day at about 10:45 p.m. the deceased Bhupati was returning from Manikpur Bazar along with his two minor sons Shantanu and Ramu on his bicycle being followed by the accused Dhirendara. Accused attacked Bhupati on the neck with a knife. When his sons Shantanu and Ramu raised a hue and cry, they were also assaulted by the accused. Shantanu received injury on his right side of chest with the same knife and Ramu received injury on his left hand.

An FIR was lodged by Shantanu. He and Ramu were sent to Hospital for medical treatment. Dead body of Bhupati was also sent for PM Examination.

The Medical Officer, on examination of the dead body of Bhupati found the following injury :-

One penetrating wound about 5" deep on the right side of the neck just below the thyroid cartilage.

It was opined by the doctor that the death was caused because of Cardio respiratory failure due to shock and haemorrhage as a result of above mentioned injury. The death was homicidal in nature.

On being examined by the Doctor, a stab injury about 3" deep on front of the right side of chest was found on the body of Shantanu. The Doctor opined that the injury was dangerous to life. The injury on the body of Ramu was found to be simple in nature.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण / अभिकथन –

अभियुक्त धीरेन्द्र और मृतक भूपति विगत् 15–16 वर्षों से माणिकपुर बाजार में चना बेचते थे। दिनांक 03.07.2014 को शाम के समय दोनों को गांव के लोगों के द्वारा रूपयों के

संबंध में बातचीत करते हुए देखा गया था। उसी दिन रात्रि में करीब 10.45 बजे रात्रि में मृतक भूपति माणिकपुर बाजार से अपने दो अवयस्क बच्चों शांतनू और रामू के साथ सायकिल से लौट रहा था। अभियुक्त उसका पीछा कर रहा था। अभियुक्त ने भूपति के गले पर चाकू से वार किया। जब उसके बच्चों ने शोर मचाया तो अभियुक्त ने उन पर भी हमला किया। शांतनू को उसी चाकू से सीने पर दाहिनीं ओर चोट आयी और रामू को बांये हाथ पर चाकू की चोट आयी।

शांतनू के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। उसे तथा रामू को चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। भूपति की लाश भी शव परीक्षण के लिए भिजवायी गई।

चिकित्सा अधिकारी ने भूपति की लाश का परीक्षण करने पर निम्न चोट पायी :–

गले पर दाहिनी ओर 5 इंच गहरा एक पेनिट्रेटिंग वुंड था जो कि थायराइड कार्टिलेज के ठीक नीचे था।

चिकित्सक के द्वारा यह अभिमत दिया गया कि भूपति की मृत्यु हृदय तथा श्वसन–तंत्र की विफलता के कारण शॉक और हेमरेज से उपरोक्त चोट के परिणामस्वरूप हुई थी। मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

चिकित्सक के द्वारा शांतनू का परीक्षण करने पर उसके सीने पर सामने दाहिनीं ओर तीन इंच गहरी चाकू की एक चोट पायी थी। चिकित्सक के मत में यह चोट जीवन के लिए घातक थी। रामू के शरीर पर पायी गई चोट साधारण स्वरूप की थी।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiffs Pleadings **:-**

Gajanand plaintiff no.1 and Babulal plaintiff no.2 have stated that the defendant no.1 Goverdhan is real brother of them and they were members of joint Hindu family. After the death of their father Gyarsiram defendant no.1 Goverdhan used to look after agricultural operation of the family. The plaintiffs have further alleged that after the death of father Gyarsiram the disputed property 5 acre agriculture land bearing survey no.14 situated in village Renhti Tahsil Sagar was partitioned among the three sons of Gyarsiram *i.e.* the plaintiffs and defendant no.1. Though the disputed property was in the name of defendant no.1 yet the whole disputed property was managed by the plaintiffs. The disputed land was partitioned among the plaintiffs and defendant no.1 orally in presence of

Panch in the year 1969 and subsequently the deed of acknowledgment of partition was written in the year 1970 between the plaintiffs and defendant no.1. The plaintiffs have further alleged that they are in possession after the oral partition. Thus the defendant no.1 Goverdhan had no right in the disputed land after the partition. Even though the defendant no.1 sold the disputed land to the defendant no.2 Prakashchandra on 15/01/1992 and the sale deed so executed by defendant no.1 in favour of defendant no.2 is not legal and the transaction is null and void. On the basis of above allegation the plaintiffs have prayed that it should be declared that they are Bhooswami of the disputed land and the sale deed dated 15/01/1992 is null and void and consequently the defendant no.2 be restricted from making any interference in the possession of plaintiffs on the disputed land.

Pleadings of defendant no.1

Defendant no.1 Goverdhan died before filing the written statement. His legal representatives taken on record and on behalf of them written statement has been filed. They have admitted the entire pleadings of the plaintiffs and requested to pass a decree in favour of the plaintiffs as stated in the plaint.

Pleadings of defendant no.2

Prakashchandra defendant no.2 has denied the allegations made in the plaint and has stated that the disputed land is not property of Joint Hindu Family of the plaintiffs and the defendant no.1. Goverdhan, defendant no.1 was recorded as the Bhooswami of the disputed land and was in possession and the defendant no.2 has purchased the property from defendant no.1 after paying the entire consideration to him and after execution of the sale deed dated 15/01/1992 in his favour he is in possession of the disputed land. It is also stated that defendant no.1 Goverdhan did not challenged the legality of the sale deed in his life. The plaintiffs have no right and title to the disputed land and after execution of the sale deed the defendant no.2 is in possession as owner. The plaintiffs have filed the suit with the connivance of the defendant no.1 and the document of acknowledgement of partition is a fabricated and concocted document, on the basis of which the plaintiffs could not get

any right on the property. On the basis of aforesaid pleading defendant no.2 has prayed that the suit be dismissed with cost.

<u>Plaintiff's Evidence</u> :-

1. Gajanand plaintiff no.1 (P.W.1) and Babulal plaintiff no.2 (P.W.2) have stated in their statement that the disputed land was the property of joint Hindu family of them and defendant no.1. After the death of their father in 1969 the disputed land was partitioned and came in share of plaintiffs. In this regard the deed of acknowledgement Ex.P.1 was written in the year 1970. After the partition the disputed land is in their possession.

2. In cross-examination Gajanand (P.W.1) has admitted that he has another two brother who are not parties in this case and apart from the disputed land all brothers have 25 acre land and the same is being cultivated jointly by the all brothers.

3. On behalf of the plaintiffs scriber of the deed of acknowledgement Ex.P.1 Ramesh (P.W.3) has also been examined who has stated that Ex.P.1 was written as per direction of the parties of the document. The plaintiff has also produced certified copy of Khasra Panchsala Ex.P.2 which is relating to year 1965 to 1969 in which the disputed land is recorded in the name of defendant no.1 as Bhooswami and possession holder. Plaintiff has also produced certified copy of the report of patwari (Ex.P.3), which was submitted by him to the Tahsildar in the year 1992 and the certified copy of the Panchnama Ex.P.4 prepared by the patwari at the time of local inspection and certified copy of the report of revenue inspector (Ex.P.5) regarding demarcation of the land in which the inspector has recorded plaintiffs possession on the disputed land.

<u>Evidence of defendant no.1</u> :-

On behalf of the defendant no.1 no evidence has been adduced.

<u>Evidence of defendant no.2</u> :-

Prakashchandra defendant no.2 has stated that the defendant no.1 Goverdhan (D.W.1) was the owner of the land and it was in his possession and in revenue paper it was recorded in the name of defendant no.1, therefore, he purchased it after paying consideration and the defendant no.1 executed the sale deed Ex.D.1 in his favour and thereafter

he delivered the possession of the disputed land to him. Since then he is in possession as an owner of the land. It is also stated that the defendant no.1 in his lifetime never objected about the legality of the sale deed and the title and possession of the defendant no.2 on the land. It is also stated that at the time of mutation neither the defendant no.1 nor the plaintiffs had made any objection before the revenue authority.

Arguments of Plaintiff :-

The learned counsel of the plaintiffs has argued that from the statement of the plaintiffs and admission of defendant no.1 it is proved that the disputed land was the property of the Joint Hindu Family of plaintiffs and defendant no.1 and in the partition the disputed land came in share of plaintiffs. This fact is also proved by the deed of acknowledgement of partition Ex.P.1 which has been proved by the plaintiffs and its scriber (P.W.3). Similarly the plaintiffs possession on the disputed land is also proved by oral and documentary evidence submitted by the plaintiff, therefore, the plaintiffs are entitled to get relief as prayed in the plaint.

Arguments of defendant no.1 :-

The learned counsel of the defendant no.1 has supported the aforesaid arguments of the plaintiffs.

Arguments of defendant no.2 :-

On behalf of the defendant no.2 the learned counsel has contended that the plaintiffs have failed to prove that the disputed land was the property of Joint Hindu Family of plaintiffs and defendant no.1. It has not been clarified by the plaintiffs as to how the disputed property was acquired by the plaintiffs and defendant no.1 as Joint Hindu Family property. The plaintiffs have not claimed that the disputed land was earlier owned by their father Gyarsiram or it was purchased by nucleolus of Joint Hindu Family in the name of defendant no.1. It is also contended that the entire case of the plaintiffs is false and concocted. The document Ex.P.1 is a fabricated document which has been prepared by the plaintiffs with the connivance of his brother defendant no.1 after execution of the sale deed dated 15/01/1992. So far as admission of the legal representative defendant no.1 in the written statement is concerned, it has

no significance as it is a settled law that after parting with the interest by a seller any contrary assertion is not admission against the buyer. It is also contended that if the document Ex.P.1 had been in existence since 1970 it would have been acted upon for mutation of title in the name of plaintiffs but that was not done and in this regard no explanation has been advanced by the plaintiff in their statement. This circumstance also show that the Ex.P.1 is a fabricated document.

On behalf of the defendant no.2 learned counsel has also argued that it is not explained on behalf of the plaintiffs that why other two brothers has not been shown as the members of Joint Hindu family and why their shares have not been defined in the alleged disputed property and why other property of Joint Hindu Family property was not partitioned. The suppression of aforesaid facts in the pleadings shows that the entire case of the plaintiffs is based on baseless and bogus facts.

Similarly the evidence regarding possession of the disputed property is also not reliable as the oral statement of the plaintiffs are not supported by any documentary evidence as documents Ex.P.2, Ex.P.3, Ex.P.4 have no evidentiary value without the statements of concerned revenue officers. There is no legal presumption regarding correctness of their contents. Therefore the suit of the plaintiff is liable to be rejected, hence it should be rejected.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

गजानन्द वादी क्र.1 एवं बाबूलाल वादी क्र.2 के अभिवचन है कि वे तथा प्रतिवादी क्र.1 गोवर्धन सगे भाई है एवं वे संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे। उनके पिता ग्यारसीराम की मृत्यु के बाद परिवार का कृषि कार्य प्रतिवादी क्र.1 गोवर्धन देखता था। वादीगण के आगे अभिकथन है कि पिता ग्यारसीराम की मृत्यु के बाद विवादित संपत्ति, भूमि सर्वे नंबर 14 रकबा 5 एकड़ स्थित ग्राम रेंहटी तहसील सागर का बंटवारा तीनों भाईयों में हो गया। यद्यपि विवादित संपत्ति प्रतिवादी क्र.1 के नाम थी पर पूरी विवादग्रस्त भूमि वादीगण द्वारा संभाली जाती थी। विवादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1969 में पंचों के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.1 के मध्य मौखिक रूप में बांटी गई थी। बाद में वर्ष 1970 में वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.1 के मध्य बंटवारे की अभिस्वीकृति का दस्तावेज लिखा गया। वादीगण ने आगे अभिकथित किया है कि मौखिक बंटवारे के बाद वे आधिपत्य में है। इस प्रकार प्रतिवादी क्र.1 के, विभाजन के बाद विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं थे। इसके बाद भी प्रतिवादी क्र.1 ने प्रतिवादी क्र.2 प्रकाशचंद्र को दिनांक

15/01/1992 को विवादित भूमि का विक्रय कर प्रतिवादी क्र.1 ने प्रतिवादी क्र.2 के हित में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है जो कि विधिक नहीं है एवं यह संव्यवहार शून्य एवं अप्रभावी है। उक्त अभिकथनों के आधार पर वादीगण ने प्रार्थना की है कि यह घोषित किया जाये कि वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के भूस्वामी है एवं विक्रय पत्र दिनांक 15/01/1992 शून्य एवं अप्रभावी है एवं परिणामस्वरूप, प्रतिवादी क्र.2 को वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अधिपत्य में कोई हस्तक्षेप करने से रोका जाये।

प्रतिवादी क्र.1 के अभिवचन :—

प्रतिवादी क्र.1 गोवर्धन लिखित कथन प्रस्तुत करने से पूर्व ही मर गया। उसके विधिक प्रतिनिधिगण अभिलेख पर लिये गये एवं उनकी ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किये गये है। उन्होंने वादीगण के संपूर्ण अभिवचनों को स्वीकार करते हुये, वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित सहायता की आज्ञप्ति उनके पक्ष में जारी किये जाने की याचना की है।

प्रतिवादी क्र.2 के अभिवचन :—

प्रतिवादी क्र.2 चंद्रप्रकाश ने वादपत्र में किये गये अभिवचनों को अस्वीकार किया है एवं अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति नहीं है। राजस्व दस्तावेजों में प्रतिवादी गोवर्धन वादग्रस्त भूमि के भूस्वामी के रूप में दर्ज था एवं उसके आधिपत्य में था। प्रतिवादी क्र.2 ने प्रतिवादी क्र.1 से प्रतिफल अदा कर उक्त संपत्ति क्रय की है एवं दिनांक 15/01/1992 को उसके हित में विक्रय पत्र निष्पादन के बाद वह विवादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में है। यह भी अभिकथित किया है कि प्रतिवादी क्र.1 गोवर्धन ने अपने जीवनकाल में उक्त विक्रय पत्र की वैधानिकता को चुनौती नही दी है। वादीगण के विवादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है विक्रय पत्र के निष्पादन के बाद प्रतिवादी क्र. 2 का स्वामी के रूप में आधिपत्य है। वादीगण ने प्रतिवादी क्र.1 के साथ सांठगांठ कर यह दावा प्रस्तुत किया है एवं बंटवारे का अभिस्वीकृति पत्र मिथ्या गढ़ा गया एवं कूटरचित है, उसके आधार पर वादीगण को उक्त संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उक्त अभिवचनों के आधार पर दावा सव्यय निरस्त करने की याचना प्रतिवादी क्र.2 द्वारा की गई है।

वादीगण की साक्ष्य :—

1. वादी गजानन्द वा.सा.1 एवं बाबुलाल वा.सा.2 ने अपने कथनों में कहा है कि वादग्रस्त भूमि उनके एवं प्रतिवादी क्र.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी। पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 1969 में विवादित भूमि का बंटवारा हो गया एवं वादीगण के हिस्से में आई। इस संबंध में वर्ष 1970 में बंटवारे की अभिस्वीकृति प्रदर्श पी.1 का दस्तावेज भी लिखा गया। बंटवारे के बाद वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे में है।

2. वादी गजानन्द वा.सा.1 ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाद में पक्षकारों के अलावा उसके दो भाई और है एवं वादग्रस्त भूमि के अलावा 25 एकड़ भूमि सभी भाईयों के पास है जो सभी भाईयों द्वारा संयुक्त रूप से जोती जाती है।

3. वादीगण की ओर से अभिस्वीकृति पत्र प्रदर्श पी.1 के लेखक रमेश वा.सा.3 का परीक्षण कराया गया है जिसने कहा है कि दस्तावेज प्रदर्श पी.1 दस्तावेज के पक्षकारों के निर्देशानुसार लिखा गया। वादीगण की ओर से वर्ष 1965 से वर्ष 1969 के खसरा पंचसाला प्रदर्श पी.2 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र.1 के नाम भूस्वामी एवं

आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। वादीगण ने पटवारी प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति पदर्श पी.3 जो स्थानीय निरीक्षण उपरांत तहसीलदार को वर्ष 1992 में दी थी तथा राजस्व निरीक्षक के द्वारा दिये गये सीमांकन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.4 जिसमें उसने विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य दर्ज किया है, प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादी क.1 की साक्ष्य :—

प्रतिवादी क.1 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रतिवादी क.2 की साक्ष्य :—

प्रतिवादी क.2 प्रकाशचंद्र प्र.सा.1 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क.1 स्वामी था और वह उसके आधिपत्य में थी तथा राजस्व कागजात में भी प्रतिवादी क.1 के नाम दर्ज थी, इस कारण प्रतिफल अदा कर कय किया था एवं प्रतिवादी क.1 ने उसके हित में विकय पत्र प्रदर्श डी.1 निष्पादित किया था एवं उसके बाद उसने आधिपत्य उसे दिया था तभी से वह उक्त भूमि पर स्वामी के रूप में आधिपत्यधारी है। यह भी कहा है कि प्रतिवादी क.1 ने अपने जीवनकाल में कभी भी विकय पत्र की वैधानिकता, प्रतिवादी क.2 के विवादग्रस्त भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। यह भी कहा है कि राजस्व अधिकारियों के समक्ष नामान्तरण की कार्यवाही के समय भी वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

तर्क वादीगण :—

वादीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क है कि वादीगण के कथनों एवं प्रतिवादी क.1 की स्वीकृति से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि उनके संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी एवं विभाजन में वादग्रस्त भूमि वादीगण के हिस्से में आई। यह तथ्य बंटवारे की अभिस्वीकृति के दस्तावेज प्रदर्श पी.1 जो कि वादीगण के कथनों एवं लेखक रमेश वा.सा.3 के कथन से प्रमाणित है, से भी प्रमाणित होता है। इसके साथ ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य वादीगण की ओर से पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। फलतः वादीगण वादपत्र में वर्णित सहायता पाने के अधिकारी है।

तर्क प्रतिवादी क.1 :—

प्रतिवादी क.1 के विद्वान अभिभाषक ने वादीगण के उक्त तर्को को समर्थन किया है।

तर्क प्रतिवादी क.2 :—

प्रतिवादी क.2 के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि वादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार को यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई थी। वादीगण का यह दावा नहीं है कि पूर्व में यह भूमि उनके पिता ग्यारसीराम के स्वामित्व की थी या संयुक्त हिन्दू परिवार के स्त्रोत से प्रतिवादी क.1 के नाम से कय की गई। यह भी तर्क दिया है कि वादीगण का पूरा मामला मिथ्या एवं मनगढ़ंत है। बंटवारे का दस्तावेज प्रदर्श पी.1 कूटरचित दस्तावेज है जो दिनांक 15/01/1992 को विकय पत्र निष्पादन के बाद प्रतिवादी क.1 से सांठगांठ कर वादीगण द्वारा तैयार किया गया है। जहॉ तक प्रतिवादी क.1 के विधिक प्रतिनिधिगण द्वारा लिखित कथन में की गई स्वीकृति

का प्रश्न है उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि विक्रेता द्वारा अपने हित को छोड़ने के बाद की गई किसी प्रकार की विरोधी स्वीकृति, क्रेता के विरूद्ध स्वीकृति नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि दस्तावेज प्रदर्श पी.1 वर्ष 1970 से अस्तित्व में होता तब वादीगण के द्वारा स्वत्व के नामान्तरण की कार्यवाही की जाती जो कि नहीं की गई और न ही इस संबंध में वादीगण ने अपने कथनों में कोई स्पष्टीकरण दिया है। यह परिस्थिति भी यह प्रकट करती है कि दस्तावेज प्रदर्श पी.1 मिथ्या तैयार किया गया है।

प्रत्यर्थी क्र.2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि वादीगण के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अन्य दो भाईयों को क्यों संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं बताया गया है एवं विवादित संपत्ति में उनके हिस्से का निर्धारण क्यों नहीं किया गया है और अन्य संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं किया गया है। इन तथ्यों को अभिवचन में छुपाये जाने से यह प्रकट होता है कि वादी का संपूर्ण वाद निराधार एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित है।

इसी प्रकार विवादित संपत्ति के कब्जे के संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वादीगण का मौखिक कथन किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है एवं दस्तावेज प्रदर्श पी.3, व प्रदर्श पी.4 का कोई साक्ष्यिक मूल्य राजस्व अधिकारियों के कथन के अभाव में नहीं है। उनमें वर्णित तथ्यों की सत्यता की कोई वैधानिक उपधारणा नहीं है। फलतः वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इसे निरस्त किया जाये।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions of the concerning law. - 40 Marks

Prosecution Case :-

The accused is a permanent resident of Shyamgarh village. His first wife died. The accused started living with the deceased Sudha at his house and he was telling the neighbours that deceased Sudha was his mistress. When the accused and deceased were staying in the house of accused, they were quarrelling with each other under the influence of alcohol.

On 09.03.2004, at about 7:00 p.m., the accused picked up quarrel with the deceased Sudha and assaulted on her head by a knife. She died on the spot. Thereafter, the accused doused kerosene oil on the deceased and set the deceased on fire. The accused absconded after the incident. He was arrested on 27.12.2004. On the information given by him under Section 27 of the Evidence Act, a knife was recovered.

Defence Plea **:-**

It was submitted that the accused did not commit any offence. The deceased had committed suicide by pouring kerosence oil on her body. At the time of incident he was not present in his house.

Evidence for prosecution **:-**

PW.1 - Murari has deposed that he knows the accused and deceased Sudha. The accused had brought the deceased to his house in Shyamgarh village and was staying with the deceased. The accused had kept her as his mistress in his house. The deceased and accused were often quarrelling with each other under the influence of alcohol.

That on the day of incident at about 7:00 p.m., when he was in his house, his neighbours informed that the house of accused was under flames. Immediately, he rushed to the house of accused. He noticed dead body of Sudha and blood was oozing from her body. According to him the Police visited the village on the next day at about 8.00 a.m., and obtained his signature on the First Information Report. He has denied the contents of First Information Report. He was declared hostile witness by prosecution.

In the cross-examination by the Public Prosecutor, he deposed that on 09.03.2004, accused and deceased were quarrelling with each other since morning. At about 7:00 p.m., the villagers heard hue and cry of deceased from the house of accused. Immediately the house of accused caught fire. The accused ran out of his house. By the time he reached the place of occurrence, the body of deceased was burnt.

In cross examination by defence, the witness deposed that he does not know whether accused had assaulted the deceased with a knife and had doused kerosene oil on the deceased and set her on fire.

PW.2- Rama, on 17.07.2006, deposed that he knows the accused and the deceased. After the first wife died, the accused brought the deceased to his house in Shyamgarh village and started residing with her. Both of them were living as husband and wife. The accused and deceased were often quarrelling under the influence of alcohol. On the day of incident, at about 5:00 p.m., he had seen the accused quarrelling with the deceased.

At about 7:00 p.m., he rushed to the house of accused after coming to know about the incident. He saw the flames arising from the house of accused. The accused opened the front door and ran away from the place.

He did not speak to the accused. He saw the body of deceased was burnt and house was set ablaze.

He further deposed that after two months from the date of incident, police had brought the accused to Shyamgarh village. The accused led the police to a bush near tank and removed a knife from the bush. The police seized the knife under a seizure memo marked as per Ex.P3.

During cross-examination by defence, PW.2 has deposed that the distance between his house and accused is about 20 feet. On the date of incident, he saw the accused, and deceased quarrelling. He was not aware of the reasons as to why the accused and deceased were quarrelling. When he was returning from his shop, he saw the house of accused under flames. The accused was sitting in front of the door and had closed the front door. He denied the suggestion that accused had brought the police to the village. He denied the suggestion that the accused had not shown the knife kept in the bush to the investigating officer.

PW.3- Parvati has deposed that she is neighbour of accused. She knows the accused and she knew the deceased Sudha. After the death of first wife of accused, he had brought Sudha as his wife to his house. The accused and deceased were frequently quarrelling with each other under the influence of alcohol. On the date of incident, she returned home at about 7:00 p.m. She saw that the house of accused was set ablaze. The accused was not present near the place of occurrence.

This witness was declared hostile by the prosecution as she resiled from a part of her statement recorded under Sec. 161, Cr.P.C.

PW.4- Nataraj deposed before the court after a period of 2 years from the date of incident. He deposed that about 15 days after the incident, the police had brought the accused to his village. The accused led the police to a bush and removed a knife from the bush, which was seized under. Ex.P3. PW.4 identified the knife before the Court.

PW.5- Shiva has given evidence regarding seizure of blood stained clothes of deceased and recovery of knife from the bush near tank at the instance of the accused. PW.5 stated that police had brought the accused to his village on 27.12.2004. This witness has identified the knife before the Court.

During cross-examination by defence, PW.5 has affirmed that Art.1 was the knife, which was recovered at the instance of accused.

PW.6- Dr. G.N. Padma had conducted the post-mortem examination of deceased on 10.03.2004. On examination of deceased, PW.6 noticed the following injuries on the body of the deceased :-

(i) Incised wound over the occipital region measuring 2 x 2 inches.
(ii) Incised wound over the temporal region measuring 2 x 2 inches.

PW.6 has deposed that the death of deceased was due to head injuries and burns. Death of Sudha was homicidal in nature. She has deposed that the smell of kerosene was emanating from the body. She has deposed that the injuries on Sudha could be caused by the knife marked as Art.1.

PW-7- Jayanath has given evidence relating to investigation of the case and also about the recovery of weapon of offence (knife) on the voluntary information given by accused on 27.12.2004.

PW-8- Nand Kumar was working as Assistant Director, F.S.L., Sagar. He has stated that bloodstains were detected on the clothes of deceased and also on the knife marked as Art.1. He has further deposed that the bloodstains found on the clothes of deceased and knife were of human blood.

***Evidence for defence* :-**

On behalf of the accused no witness was examined.

***Arguments of Prosecutor* :-**

Though PW.1 Murari was declared hostile witness, his evidence that the accused and deceased were living as husband and wife and the deceased died homicidal death in the house of accused and accused was absconding from the place of incident supports the case of prosecution.

P.W.2 Rama is an immediate neighbour of accused and he has no motive to falsely implicate the accused .This witness had seen the accused and deceased at 5:00 p.m. He also saw the accused sitting in front of his house around 7:00 p.m. By then, flames were arising from the house of accused. Thereafter, the accused was absconding.

Though PW3 Parvati is declared hostile, her evidence about the relationship of accused and deceased Sudha and the fact that the deceased was living in the house of accused supports the case of prosecution. Her evidence that accused and deceased were the only inmates of the house and they were frequently quarrelling with each other under the influence of alcohol has not been controverted. Her evidence that when she came near the house of accused, the accused was not there and the house was set ablaze has also not been controverted.

During cross-examination of the doctor PW-6, nothing has been elicited regarding injuries or the nature of weapon of assault. The defence has not controverted the fact that death of Sudha was homicidal in nature.

<u>Arguments of Defence Counsel</u> :-

There was no eye witness to the incident. P.Ws.1and 3 have not supported the case of prosecution. Evidence of PW.2 is inconsistent and his conduct is also unnatural therefore, it would be unsafe to rely on his evidence.

As per the investigation officer, the accused was arrested on 27.12.2004 whereas PW.2 had deposed that two months after the incident, the police had brought the accused to Shyamgarh village. Thus, there is discrepancy in the evidence of the witnesses on the point of time at which knife was recovered form the accused. The evidence of PW.4 regarding recovery of knife cannot be believed as accused was arrested after 9 months from the date of incident.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, सकारण निर्णय लिखिये –

<u>अभियोजन का प्रकरण</u> :–

अभियुक्त ग्राम श्यामगढ़ का स्थाई निंवासी है। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। अभियुक्त अपने मकान में मृत सुधा के साथ रहने लगा और वह पड़ोसियों को बताता था कि मृत सुधा उसकी रखैल थी। जब अभियुक्त एवं मृतिका अभियुक्त के घर में रह रहे थे वे शराब के नशे में एक–दूसरे से झगड़ा करते थे।

दिनांक 09.03.2004 को शाम के करीब 7 बजे अभियुक्त ने मृतक सुधा के साथ झगड़ा किया और उसके सिर पर चाकू से प्रहार किया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद अभियुक्त ने मृतिका पर केरोसीन तेल डाला और मृतिका को आग लगा दी। घटना के बाद अभियुक्त फरार हो गया। उसे दिनांक 27.12.2004 को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा धारा 27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत दी गई सूचना पर से एक चाकू बरामद किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :–

यह कहा गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। मृतिका ने अपने शरीर पर केरोसीन तेल डाल कर आत्महत्या की थी। घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद नहीं था।

अभियोजन की साक्ष्य :–

अभियोजन साक्षी क.1 मुरारी ने कथन दिया है कि वह अभियुक्त तथा मृतिका सुधा को जानता है। अभियुक्त मृतिका को ग्राम श्यामगढ़ अपने घर लाया था और उसके साथ रहता था। अभियुक्त ने उसे रखैल की तरह अपने घर में रखा था। मृतिका तथा अभियुक्त प्रायः शराब के नशे में एक–दूसरे से झगड़ते थे।

घटना वाले दिन शाम के करीब 7 बजे जब वह अपने घर में था तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि अभियुक्त का घर जल रहा है। तत्काल वह अभियुक्त के घर पर गया । उसने सुधा की लाश देखी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। इस साक्षी के अनुसार अगले दिन सवेरे करीब 8 बजे पुलिस गांव में आयी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे। इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से अस्वीकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है।

लोक अभियोजक के द्वारा प्रतिपरीक्षण में उसने कथन दिया कि दिनांक 09.03.2004 को अभियुक्त और मृतिका सबेरे से एक–दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। शाम के करीब 7 बजे गांव वालों ने अभियुक्त के घर में से मृतिका के चीखने–चिल्लाने की आवाज सुनी थी। तत्काल अभियुक्त के घर में आग लग गई थी। अभियुक्त घर से भाग गया था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो मृतिका का शरीर जला हुआ था ।

बचाव द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि उसे नहीं पता कि अभियुक्त ने मृतिका पर चाकू से हमला किया था और मृतिका पर केरोसीन तेल डालकर उसको आग लगा दी थी।

अभियोजन साक्षी क.2 रामू ने दिनांक 17.07.2006 को कथन दिया कि वह अभियुक्त और मृतिका को जानता है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अभियुक्त मृतिका को श्यामगढ़ अपने घर लाया था और उसके साथ रहता था। दोनों पति–पत्नी की तरह रहते थे। अभियुक्त और मृतिका अक्सर शराब के नशे में झगड़ा करते थे। घटना वाले दिन शाम के करीब 5 बजे उसने अभियुक्त को मृतिका के साथ झगड़ा करते देखा था।

शाम के करीब 7 बजे घटना के बारे में पता चलने पर वह अभियुक्त के घर पर दौड़कर गया था। उसने अभियुक्त के घर से आग की लपटें उठती देखी थी। अभियुक्त ने घर का सामने का दरवाजा खोला था और वहां से भाग गया था। उसने अभियुक्त से बात नहीं की थी। उसने मृतिका का शरीर जला हुआ देखा था और मकान भी जल गया था।

उसने यह कथन भी दिया है कि घटना के 2 माह बाद पुलिस अभियुक्त को श्यामगढ़ गांव में लेकर आयी थी। अभियुक्त पुलिस को तालाब के किनारे एक झाड़ी के पास ले गया था और वहां झाडी में से एक चाकू निकालकर दिया था। पुलिस ने चाकू जप्त किया था और जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–3 बनाया था।

अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि उसके तथा अभियुक्त के घर के बीच की दूरी करीब 20 फीट है। घटना वाले दिन उसने अभियुक्त और मृतिका को

झगड़ते हुए देखा था। उसे नहीं मालूम कि अभियुक्त और मृतिका किस कारण से झगड़ रहे थे। जब वह अपनी दुकान से वापिस आ रहा था तो उसने अभियुक्त का मकान जलते हुए देखा था। अभियुक्त दरवाजे के सामने बैठा हुआ था और उसने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया था। इस साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त पुलिस को गांव में बुलाकर लाया था। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी को झाड़ी में कोई चाकू नहीं बतलाया था।

अभियोजन साक्षी क.3 पार्वती ने कथन दिया है कि वह अभियुक्त की पड़ोसी है। वह, अभियुक्त और मृतिका सुधा को जानती है। अभियुक्त की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वह सुधा को अपनी पत्नी के रूप में घर में ले आया था। अभियुक्त और मृतिका शराब के नशे में अक्सर झगड़ा करते थे। घटना वाले दिन शाम के करीब 7 बजे वह घर वापिस आयी थी। उसने अभियुक्त का घर जलते हुए देखा था। अभियुक्त घटनास्थल के आस–पास नहीं था।

इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है, क्योंकि उसने धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज बयान के कुछ अंश से इंकार किया है।

अभियोजन साक्षी क.4 नटराज ने घटना के 2 वर्ष बाद न्यायालय में कथन दिया है। उसने कथन दिया है कि घटना के 15 दिन बाद पुलिस अभियुक्त को लेकर गांव में आयी थी। अभियुक्त पुलिस को झाड़ियों में ले गया था और झाड़ियों में से एक चाकू निकालकर दिया था, जिसे प्र.पी.3 के जप्ती पंचनामे द्वारा जप्त किया गया। इस साक्षी ने न्यायालय में चाकू पहचाना है।

अभियोजन साक्षी क.5 शिवा ने मृतिका के खून लगे कपड़े जप्त किये जाने और अभियुक्त के बताने पर तालाब के पास झाड़ियों में से चाकू की बरामदगी का कथन दिया है। इस साक्षी ने बताया है कि पुलिस दिनांक 27.12.2004 को अभियुक्त को गांव में लेकर आयी थी। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष चाकू पहचाना है।

बचाव की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने पुष्टि की है कि आर्टिकल 1 का चाकू वही है, जो अभियुक्त के बताने पर बरामद हुआ था।

अभियोजन साक्षी क. 6 डॅा. जी0एन0 पद्मा ने दिनांक 10.03.2004 को मृतिका का शव परीक्षण किया था। मृतिका का परीक्षण करने पर अ.सा.6 ने मृतिका के शरीर पर निम्न चोटें पायी थी :–

(1) सिर पर आक्सीपीटल भाग में कटा हुआ घाव जिसका आकार 2 इंच X 2 इंच था।
(2) सिर पर टेम्पोरल भाग में कटा हुआ घाव जिसका आकार 2 इंच X 2 इंच था।

अ.सा. 6 ने कथन दिया है कि मृतिका की मृत्यु सिर में आयी चोटों और जलने के कारण हुई थी। सुधा की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी। उसने यह कथन दिया है कि सुधा के शरीर से केरोसीन की गंध आ रही थी । उसने कथन दिया है कि सिर की चोटें आर्टिकल 1 के चाकू से पहुंचायी जा सकती थी।

अभियोजन साक्षी क.7 जयनाथ ने प्रकरण के अनुसंधान के संबंध में तथा दिनांक 27.12.2004 को अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से दी गई सूचना पर से चाकू की बरामदगी के संबंध में कथन दिया है।

अभियोजन साक्षी क.8 नंदकुमार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में सहायक संचालक के रुप में कार्यरत था। उसने बताया है कि मृतिका के कपड़ों और आर्टिकल–1 के चाकू पर

खून पाया गया था। उसने यह भी बताया है कि मृतिका के कपड़ों और चाकू पर पाये गये खून के धब्बे मानव रक्त के थे।

<u>बचाव साक्ष्य</u> :–

अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं करवाया गया ।

<u>अभियोजक का तर्क</u> :–

यद्यपि अभियोजन साक्षी क्र.1 मुरारी को पक्षविरोधी घोषित किया गया था, लेकिन उसका यह कथन कि अभियुक्त और मृतिका पति–पत्नी की तरह रहते थे, मृतिका की हत्यात्मक मृत्यु अभियुक्त के घर में हुई थी और घटना के बाद अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गया था, अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करता है।

अभियोजन साक्षी क्र.2 रामू अभियुक्त का एकदम पड़ोसी है और उसके द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का कोई हेतुक नहीं है। इस साक्षी ने अभियुक्त तथा मृतिका को शाम के 5 बजे देखा था। उसने अभियुक्त को उसके घर के बाहर बैठे हुए भी शाम के 7 बजे देखा था, उस समय अभियुक्त के घर से आग की लपटें निकल रही थी। इसके बाद अभियुक्त फरार था।

यद्यपि अभियोजन साक्षी क्र.3 पार्वती को पक्षविरोधी घोषित किया गया है, लेकिन अभियुक्त और मृतिका सुधा के सम्बन्ध के बारे में उसका कथन और यह तथ्य कि मृतिका अभियुक्त के घर में रहती थी, अभियोजन प्रकरण का समर्थन करता है। उसके द्वारा दिया गया यह कथन कि घर में अभियुक्त और मृतिका ही रहते थे और वे अक्सर शराब के नशे में एक–दूसरे से झगड़ा करते थे, का खण्डन नहीं हुआ है। उसके इस कथन का भी खण्डन नहीं किया गया है कि जब वह अभियुक्त के घर के समीप आई थी तो अभियुक्त वहां नहीं था और घर जल रहा था।

अभियोजन साक्षी क्र.6 के प्रतिपरीक्षण में मृतिका की चोटों या हमले में प्रयुक्त आयुध की प्रकृति के बारे में कोई बात नहीं आयी है। बचाव पक्ष ने इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है कि सुधा की मृत्यु हत्यात्मक थी।

<u>बचाव अधिवक्ता का तर्क</u> :–

घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। अभियोजन साक्षी क्र.1 तथा 3 ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी क्र.2 का कथन विरोधाभासी है और उसका आचरण भी अस्वाभाविक है, इसलिये उसके कथन पर भरोसा करना असुरक्षित होगा ।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी के अनुसार अभियुक्त दिनांक 27.12.2004 को गिरफ्तार किया गया था जबकि अभियोजन साक्षी क्र.2 ने कथन दिया है कि घटना के दो माह बाद पुलिस अभियुक्त को श्यामगढ़ ग्राम में लेकर आयी थी। इसलिये अभियुक्त से चाकू की बरामदगी के समय के सम्बन्ध में साक्षियों के कथनों में विसंगति है। चाकू की बरामदगी के संबंध में अभियोजन साक्षी क्र.4 के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियुक्त को घटना के 9 माह बाद गिरफ्तार किया गया था।

****